



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, रविवार, 02 अप्रैल, 2006 ई0

चैत्र 12, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

संख्या 56/XII/94(05)/2003/06

देहरादून, 02 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तरांचल ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-ख), सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-‘ख’) सेवा नियमावली, 2006

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-‘ख’), सेवा नियमावली, 2006 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति-

- उत्तरांचल ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-‘ख’), सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ‘ख’ के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें-

- इस नियमावली में जब तक विषय या सन्दर्भ में प्रतिकूल बात न हो-
(क) ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ से राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

- (ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है;
- (ग) "आयोग" से उत्तरांचल लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
- (ङ) "सरकार" से उत्तरांचल राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (च) "राज्यपाल" से उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;
- (छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ज) "सेवा" से उत्तरांचल ग्रामीण अभियंत्रण (समूह-'ख') अभिप्रेत है;
- (झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग—

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तित करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसके प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में दी गयी है:

परन्तु—

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थागित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
- (दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का श्रोत—

5. सहायक अभियन्ता (सिविल, यांत्रिक, विद्युत) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी;
- (क) 41-2/3 प्रतिशत रिक्तियां आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और
- (ख) 8-1/3 प्रतिशत रिक्तियां मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, यांत्रिक, विद्युत) और संगणकों में से जो भर्ती के प्रथम दिवस को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का सहयुक्त सदस्य हो तथा कनिष्ठ अभियन्ता अथवा संगणक के रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पात्र व्यक्ति उपलब्ध होने की दशा में आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु—

यदि इस खण्ड के अधीन उपयुक्त या पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियां आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती हैं।

- (ग) 50 प्रतिशत रिक्तियां मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, यान्त्रिक, विद्युत) और संगणकों में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु—

यह कि मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं और मौलिक रूप से नियुक्त संगणकों में से भरी जानी वाली रिक्तियों का विभाजन, उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में होगा।

आरक्षण—

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार—अर्हतायें

राष्ट्रीयता—

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश—केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हतायें—

8. सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न शैक्षिक अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:—

(क) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल, विद्युत या यान्त्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि, या

(ख) पूर्णतया: अर्ह/सहयुक्त सदस्य, जिसने सिविल, विद्युत या यान्त्रिक अभियंत्रण में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का भाग "क" और "ख" उत्तीर्ण कर लिया हो।

अधिमानी अर्हता—

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु—

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसे अन्य प्रवर्गों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र—

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति—

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो:

परन्तु सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता—

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच—भर्ती की प्रक्रिया**रिक्तियों का अवधारण—**

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।
 (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।
 (3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर दिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सकते हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

- (4) आयोग अभ्यर्थी को उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी-प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो समय-समय पर आयोग द्वारा विहित किये जायें।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

16. सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया- सहायक अभियन्ता (सिविल), सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) या सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची-

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छ:-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति-

18. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथा स्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- (2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाये।
- (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में या जैसा कि वह उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो उक्त नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

परिवीक्षा-

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि जब तक अवधि, बढ़ाई जाये:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त

उपयोग नहीं किया है या उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न हो तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण—

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—
 - (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;
 - (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये;
 - (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है; और
 - (घ) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

ज्येष्ठता—

21. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान—

22. (1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।
- (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें और जब तक सरकारी सेवक पुराने वेतन के लिए अपना विकल्प नहीं देता है, तब तक वेतनमान निम्न प्रकार होगा:—

पद का नाम	वेतनमान
सहायक अभियन्ता	8000—275—13500

- (3) सहायक अभियन्ताओं को समयमान वेतनमान और वैयक्तिक वेतनमान समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में दिये गये मानदण्ड के अनुसार अलग-अलग मामलों में दिया जायेगा।

परिवीक्षा अवधि में वेतन—

23. (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसको प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु, यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

- (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन मूल नियम द्वारा विनियमित होगा।

- (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन-

24. किसी पद पर सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन-

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में व्यक्ति राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता-

26. यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आयोग के परामर्श से उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति-

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित हों।

परिशिष्ट

[नियम 4(2)देखिये]

क्र०सं०	पदनाम	कुल पदों की संख्या
1	2	3
1.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	49
2.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	02
3.	सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक)	02
योग		53

आज्ञा से,

पी० के० महान्ति,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 56/XII/06/94(05)/2003, dated April 02, 2006 for general information:

No. 56/XII/06/94(05)/2003

Dated Dehradun, April 02, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Rural Engineering (Group B):-

THE UTTARANCHAL RURAL ENGINEERING (GROUP- "B") SERVICES RULES, 2006

Part I-- General

Short title and Commencement--

1. (1) These rules may be called the Uttaranchal Rural Engineering (Group- "B") Service Rules, 2006.
- (2) They shall come into force at once.

Status of the Services--

2. The Uttaranchal Rural Engineering (Group-"B") service is a state service comprising Group-"B" posts.

Definitions--

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
 - (a) "appointing authority" means the Governor;
 - (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;
 - (c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
 - (d) "Constitution" means the Constitution of India;
 - (e) "Government" means the Government of Uttaranchal;
 - (f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
 - (g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or order in force prior to commencement of these rules to a post in the cadre of the Services;
 - (h) "Service" means the Uttaranchal Rural Engineering Group "B" service;
 - (i) "Substantive appointment" means an appointment not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the Government;
 - (j) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II--Cadre

Cadre of Service--

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time of time.
- (2) The strength of the service shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix:

Provided that-

- (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
- (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III--Recruitment

Source of Recruitment--

5. Recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil, Electrical and Mechanical) shall be made from the following sources:-

- (i) 41-2/3 per cent vacancies by direct recruitment through the Commission, and
- (ii) 8-1/3 per cent vacancies shall be filled by promotion through Commission from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil, Electrical and Mechanical) and substantively appointed computers who possess a Bachelor's Degree in Civil or Electrical or Mechanical Engineering from a recognized Institution or are Associate Members of the Institution or are Associate Members of the Institution of Engineers (India) and have completed three years service as Junior Engineers or computer on the first day of the year of recruitment:

Provided that if suitable or eligible persons under this clause are not available for promotion, such vacancies may be filled from the Commission by the direct recruitment,

- (iii) 50 per cent vacancies shall be filled by Promotion through Commission, from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil, Electrical and Mechanical) and Computers, who have completed seven years' service, as such on the first day of July of the recruitment year:

Provided that the division of vacancies to be filled from amongst substantively appointed Junior Engineers and substantively appointed Computers shall be in the proportion of their respective cadre strength.

Reservation--

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part IV--Qualifications

Nationality--

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be--

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to Category (b) or (c) must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note-- A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification--

8. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Engineer must possess the following qualifications: --

- (a) Degree in Civil or Electrical or Mechanical Engineering from any Institution or University recognized by the Government, or

- (b) Fully qualified Associate member, having-passed sections "A" and "B" of the Institution of Engineers (India) in Civil, Electrical or Mechanical Engineering.

Preferential Qualifications--

9. A candidate who has:-

- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age--

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the year in which vacancies are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character--

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note--Persons dismissed by the Union Government or a State Government, a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status--

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness--

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment to the post of Assistant Engineer by direct recruitment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V--Procedure for Recruitment

Determination of Vacancies--

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies for direct recruitment shall be intimated to the Commission.

Procedure for Direct Recruitment--

15. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the prescribed Performa published in the advertisement issued by them.
- (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.
- (3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such

number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

- (4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidates obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 per cent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Note-- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

Procedure for Recruitment by Promotion--

16. Recruitment by promotion to the post of Assistant Engineer (Civil, Electrical and Mechanical) shall be made, by rejecting the un-eligible candidate on the basis of seniority, in accordance with the Uttaranchal Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003, as amended from time to time.

Combined Select List--

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Part VI--Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment--

18. (1) Subject to the provisions of sub-rule--(2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 or 17 as the case may be.
- (2) Where in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.
- (3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.

Probation--

19. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual case specifying the date upto which the extension is granted:
- Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.
- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation the probationer has not made sufficient use of his opportunities or his work and conduct is not satisfactory, he may be reverted to his substantive post, if any, if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

- (5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre at any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation--

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if--
- his work and conduct are reported to be satisfactory ;
 - his integrity is certified;
 - the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation; and
 - he has completed training.

Seniority--

21. The seniority of person substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants' Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Part VII--Pay etc

Scales of Pay--

22. (1) The scale of pay admissible to person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scale of pay shall, until orders varying the same under sub-rule (1) are passed and unless the Government servant opts for the old scale be as follows :-

Name of the post	Scale of pay
Assistant Engineer	8000-275-13500

- (3) Time Pay Scale and Personal Pay Scale to Assistant Engineers shall be allowed in individual cases in accordance with the criteria laid down in the orders of the Government issued from time to time.

Pay during Probation--

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the Time Scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service, when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on a account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules.
- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Governments generally serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII--Other Provisions

Canvassing--

24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other Matters--

25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the Conditions of Service--

26. Where the State Government is satisfied, that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case it may, in consultation with the Commission notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by orders, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings--

27. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders for the Government issued from time to time in this regard.

Appendix

[see Rules 4(2)]

Sl.No.	Name of Post	No. of Post
1	2	3
1.	Assistant Engineer (Civil)	49
2.	Assistant Engineer (Electrical)	02
3.	Assistant Engineer (Mechanical)	02
Total		53

By Order,

P. K. MAHANTI,

Secretary.